

236

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा
जिला रीवा म०प०

376
3.9.15

R5017-II/15



Re 201

महेश्वर प्रसाद पिता मकसूदन प्रसाद पिड़िहा निवासी ग्राम देवगाँव
तहसील, थाना मगवाँ जिला रीवा म०प० -----आवेदक

बनाम

- 1:- हरि नारायण तिवारी पिता रामाधार तिवारी
- 2:- हरि दशरथ तिवारी तनय राम सखा तिवारी
- 3:- हरि शंकर तिवारी तनय राम सखा तिवारी

सही निवासी ग्राम देवगाँव तहसील मगवाँ जिला रीवा म०प०

----- अनावेदकगण

निगरानी बिद्वराजस्व निरीक्षक मण्डल डेल्ही सर्किल
डेल्ही के राजस्व प्रकरण क्र० 29/ए-012/014X015
के सीमांकन आदेश क्र० 07/07/015 के बिद्व निगरानी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म० प० भू० ए० सं०
1959ई० पूर्व ।

की-द्वितीय-पिशा
नारा आन पिशा
सुस्त पिशा यथा
03-9-15 के
हद
मंडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

आवेदन पत्र निगरानी के आधार बिन्दु श्रीमान की ओर निम्न
बिन्दुओं के साथ प्रस्तुत है :-

- 1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प० क्र० 29/ए-12/014X015
आदेश दिनांक 07/07/2015 बिधि बिद्व आदेश होने के कारण प्रथम वृष्टा
दिया गया आदेश निरस्त योग्य है ।
- 2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन करने के पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध
चौहदों कास्तकीरो को बिधित सूचना जारी किया जाना था किन्तु राजस्व
निरीक्षक व हल्का पटवारी देवगाँव द्वारा आ० क्र० 275 रकबा 0.032हे०, का
सीमांकन की तारीख 07/07/015 नियत की गई थी किन्तु व उसी दिन उक्त
आराजी के सीमांकन का पुष्टी करण कर दिया गया जबकि आपत्ति करता
क्र० 02पर

महेश्वर प्रसाद पिड़िहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5027-II/15

जिला-रीवा

महेश्वर प्रसाद पिड़िया/हरिनारायण तिवारी

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	